उत्तराखण्ड शासन,
औद्योगिक विकास अनुभाग– 2
संख्या 556 /VII-2/2015/–17उद्योग / 2013
देहरादून :दिनांक 28 जुलाई, 2015.

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 742/VII-1/2013/–166उद्योग/2011 दिनांक 4 अप्रैल, 2003 द्वारा मेगा उपक्रमों को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी कियान्वयन किये जाने हेतु मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वेस्टमेंट पालिसी 2013 प्रख्यापित की गई जिसे कार्यालय ज्ञाप सं 330/VII-1-14/17उद्योग/2013 दिनांक 26.6.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकृत किया गया। उक्त अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप एवं राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, राज्य की आर्थिक विकास दर बनाये रखने, स्थानीय स्तर पर उद्यम कुशलता के अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय, निम्नवत् संशोधित मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वैस्टमैंट नीति 2015 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

i. इस नीति का नाम **"मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी"** 2015 होगा।

ii. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र आच्छादित होंगे।

iii. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार/सिडकुल द्वारा चिन्हित औद्योगिक आस्थानों में निम्न प्रकार के उद्योग सम्मिलित किये जायेंगे:–

(अ) एकल उद्योग।

(ब) हॉस्पिटल।

(स) मिश्रित उद्योग (इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के साथ उनकी प्रोसेसिंग इकाईयो को भी अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे डेरी एवं डेयरिंग से सम्बन्धित डेयरिंग उत्पाद की Processing Unit, टैक्सटाईल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित वस्त्र प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि।

iv. उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन सिडकुल द्वारा वर्तमान Single Window Policy के अंतर्गत सिडकुल की समय–समय पर निर्धारित पद्धति के आधार पर सिडकुल के निर्धारित मूल्य के आधार पर दिया जायेगा।

v. इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत रू0 50.00 करोड से अधिक पूॅजी निवेश की नई परियोजनायें एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण वाली इकाईयॉ भी आच्छादित होगी।

vi. पूॅजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है:–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– रू0 50.00 करोड़ से रू0 75.00 करोड़ तक पूॅजी निवेश
2. मैगा प्रोजेक्टस–रू0 75.00 करोड़ से रू0 200 करोड़ तक पूॅजी निवेश।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस–रू0 200.00 करोड़ से अधिक पूॅजी निवेश।

vii. इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षो (31 मार्च 2020) तक उत्पादन में आने वाली इकाईयॉ लाभान्वित होगी।

viii. नीति के अंतर्गत योजनाओं को भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नवत् विशेष छूट प्रदान की जायेगी:–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 15 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
2. मैगा प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 25 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।

ix. इस नीति के अंतर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 7 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।

x. तीन वर्षो तक उत्पादन में न आने वाले उद्योग से नीति के अंतर्गत अनुमन्य समस्त रियायतें वापिस ले ली जायेगी।

xi. इस नीति के अंतर्गत छूटें एवं रियायतें निम्नवत् होंगी:–

1. **Validity Period of Scheme :** आगामी 05 वर्ष यथा 31 मार्च, 2020 तक उत्पादन में आने वाली इकाईयॉ।
2. **State Capital Subsidy :** केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये वर्ष 2017 तक MSME Sector में 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 50.00 लाख

तथा वृहद् उद्यम हेतु 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 30.00 लाख की छूट उद्यमियों को दी जायेगी।

3. **Interest Subsidy :** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक उद्यमियों को 7 प्रतिशत तक की Interest subsidy दी जायेगी।
4. **Vat Concession :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगीः–
   1. लार्ज प्रोजेक्टस– वैट दर 30 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षो हेतु।
   2. मैगा प्रोजेक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस–वैट दर 50 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षो हेतु।
5. **Power Assistance/Power Bill Rebat :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों हेतु उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षो हेतु अघोषित विद्युत कटौती एवं रू0 1.00 प्रति यूनिट की दर से छूट दी जायेगी तथा इलैक्ट्रिक डयूटी में 100 प्रतिशत छूट 5 वर्षो के लिये प्रदान की जायेगी।
6. **Rebate on Stamp Duty :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को Land Purchase/Lease Deed सम्पादन करने पर 50 प्रतिशत Stamp Duty पर छूट दी जायेगी।
7. **Concession in Land Regitration Fee :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भूमि कय/लीजडीड निष्पादन के पंजीकरण हेतु रू0 1/–प्रति रू0 1000/–का शुल्क लिया जायेगा।
8. **Subsidy on ETP :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ई0टी0पी0 हेतु 30 प्रतिशत कैपिटल सबसिडी अधिकतम रू0 50.00 लाख तक दी जायेगी।
9. **Rebate on Mandi Tax :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाइल उद्यम पर Mandi Tax पर 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
10. **CST :** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को उत्पादन तिथि से 5 वर्षो तक 1 प्रतिशत CST प्रस्तावित।
11. **Payroll assistance for promoting greater employment generation :** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि जिन

उद्यमों में Specified Threshold of direct employees से दोगुने कर्मचारी कार्यरत हो को Specified Threshold of direct employees के अतिरिक्त कर्मचारियों पर रू0 500/— प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की सब्सिडी आगामी 10 वर्षो तक दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु रू0 700/— प्रतिमाह प्रति कर्मचारी Specified direct employees प्रतिमाह की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

xii. इस नीति के जारी होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स की Levy के लिये GST या किसी भी अन्य इसी तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी भी कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के द्म में समायोजित किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 556 (1) /VII-2/2015/—17उद्योग/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए ,100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर-सचिव।